

क्रमांक 3317002 / छ.ग. / 2017 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 08 / 2017

प्रति,

- मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
- मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर

विषय :- कार्यपालन अभियंता (सिविल) को स्थानांतरण / पदस्थापना शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत्।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-11/31/रथा./2017 दिनांक 09.08.2017

विषयांतर्गत कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित कार्यपालन अभियंता को शासनादेश की प्रति सौंप कर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 3317002 / छ.ग. / 2017 / 12484

प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक ०९/०८/२०१७

- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- अधीक्षण अभियंता जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल रायपुर।
- अधीक्षण अभियंता महानदी मंडल, रायपुर।
- कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायपुर।
- कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1 रायपुर।
- श्री ए.के.श्रीवास्तव कार्यपालन अभियंता द्वारा सरल क्रमांक-(4)
- एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cgwrd.in पर अपलोड हेतु।
- मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र. 2 से 8 हेतु)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर



छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक ०१.०८.२०१७

क्रमांक एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७ :: राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के श्री ए.के. श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर को अस्थायी रूप से अगामी आदेश पर्यन्त जल संसाधन संभाग क्रमांक-१, रायपुर में पदस्थ करता है।

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 18.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित अधिकारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. वर्तमान में पदस्थ/कार्यरत प्रभारी/अतिरिक्त प्रभार, अनुविभागीय अधिकारी, नियमित अनुविभागीय अधिकारी की पदस्थापना होने के फलस्वरूप, स्वमेव मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त माने जावेंगे।
5. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक ०१.०८.२०१७

पृष्ठांकन क्र. एफ ०१-११/३१/स्था./२०१७

प्रतिलिपि:-

1. मानो मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मानो संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. स्टाफ ऑफिसर सचिव, सचिव, /संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
4. समस्त कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
5. समस्त मुख्य अभियंता,
6. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,
7. समस्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,
8. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
9. सर्वसंबंधित अधिकारी द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
10. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग